न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 44 / 2022

अनवान

1 श्री लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह खुद काश्त ना.बा. सरपरस्त पुजारी दुर्गाशंकर पिता भूरालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला–शाहपुरा

----वादी

बनाम

1 गोपाल पिता पन्ना माली उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला–शाहपुरा
2 देवकरण पिता लादू माली उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला–शाहपुरा
3 रामस्वरूप पिता घीसू माली उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला–शाहपुरा
4 सोहन पिता घीसू माली उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला–शाहपुरा
5 राज. राज्य जरिये तहसीलदार फूलियाकलां जिला शाहपुरा

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री विष्णुदत्त शर्मा.................अधिवक्ता वादी
पेरोकार सरकार.....................विपक्षी क्रम 05

अनुपस्थित– प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04

निर्णय

दिनांक 14.03.2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने एक वाद पत्र कब्जायाबी बाबत प्रस्तुत किया। ग्राम कनेछनकलां पटवार हल्का क्षेत्र कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां की सरहद में स्थित खसरा संख्या 3833 रकबा 0.24 हैक्टयर भूमि वादी के पक्ष में खातेदारी अधिकारों में दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। श्रीमान न्यायालय के प्रकरण संख्या 69 / 19 में पारित निर्णय दिनांक 05.09.2019 के अनुपालन में खसरान की पत्थरगढी / नपती दिनांक 26. 05.2022 को की गई। जहां पर तैयार किए गये मौका पर्चा में कुल रकबा 0.24 में से रकबा 0.02 हैक्टयर पर प्रतिवादीगण कब्जा होना पाया गया है। जबकि प्रतिवादीगण का कोई विधिक हक निहित नही है। महज कब्जा होने मात्र से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के कोई हक अधिकार उत्पन्न नही हो जाते है।

2023.06.06 12:12

प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई कानूनन अधिकार निहित नही है। विवादित खसरान का कब्जा पुनः वादी को दिलाया जाना अति आवश्यक है।

अतः ग्राम कनेछनकलां पटवार हल्का क्षेत्र कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां की सरहद में स्थित खसरा संख्या 3833 रकबा 0.24 में से 0.02 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किए गये अनाधिकृत कब्जे की बेदखली कर, कब्जा पुनः वादी को दिलाये जाने आशय की डिक्री सादर पारित फरमाई जावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 14.07.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण विधिवत् तामील/सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरूद्ध प्रतिवादीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। वादी ने मार्फत अधिवक्ता शहादत्त में गवाह के शपथपत्र प्रस्तुत किये। प्रस्तुतशुदा शपथपत्र पर लाल स्याही से क्रमशः पी.डब्ल्यू–01 का अंकन कर वादपत्र से संलग्न राजस्व आधार अभिलेख, चालू पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांकित 26.05.2022 एवं जमाबन्दी सवंत् 2076–79, पर क्रमशः प्रदर्श–1, प्रदर्श–2 के अंकन किए गये। इस उपरान्त वादी के नियुक्त अधिवक्ता द्वारा बहस प्रस्तुत करना चाहने से बहस एकपक्षीय सुनी गई।

प्रकरण का अधो–पांत अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत, राजस्व अभिलेख एवं प्रर्दश कराये गये दस्तावेज के तुल्नात्मक परीक्षण/विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हाल खसरा संख्या 3833 रकबा 0.24 हैक्टयर भूमि वादी के पक्ष में खातेदारी अधिकारों में दर्ज होना प्रदर्श–02 से साबित हुआ है। एवं इस खसरे में से 0.02 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादीगण का अनाधिकृत कब्जा होना पाया है जो प्रदर्श दस्तावेज संख्या 01 से सिद्ध हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय वादी का वादपत्र ब–हक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किये जाने योग्य मानता है।

आदेश

वाद–पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वादी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज वाके ग्राम कनेछनकलां प.ह.क्षे. कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां की सरहद में स्थित हाल खसरा संख्या 3833 रकबा 0.24 हैक्टयर भूमि की पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें एवं नपती उपरान्त यदि वादी के हक स्वामित्व के इस खसरे पर प्रतिवादीगण का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से वादी को सिपुर्द किया जावें।

तहसीलदार फुलियाकलां तदनुसार पालना करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 14.03.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला शाहपुरा

2023.06.06 12:

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

::मूल वाद में अन्तिम डिक्री::

(आदेश 20 व नियम 06 एवं 07 सी. पी. सी.)

पीठासीन अधिकारी :- राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 44/2022

[illegible]

1 श्री लक्ष्मीनारायण जी स्थान देव खुद काश्त नाबा. सरवराकार पुजारी दुर्गाशंकर पिता भूरालाल ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

—वादी

बनाम

1 गोपाल पिता पन्ना माली उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला-शाहपुरा

2 देवकरण पिता लादू माली उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला-शाहपुरा

3 रामस्वरूप पिता धीसू माली उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला-शाहपुरा

4 सोहन पिता धीसू माली उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला-शाहपुरा

5 राज. राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला शाहपुरा

....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री विष्णुदत्त शर्मा.................अधिवक्ता वादी
पेशकार सरकार....................विपक्षी क्रम 05

अनुपस्थित- प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04

दिनांक 14.03.2024

वाद-पत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है कि वादी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज वाके ग्राम कनेछनकलां प.ह.को. कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां की सरहद में स्थित हाल खसरा संख्या 3833 रकबा 0.24 हैक्टयर भूमि की पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावे एवं नपती उपरान्त यदि वादी के हक स्वामित्व आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से वादी को सिपुर्द किया जावे।

डिक्री की पालना में तहसीलदार फुलियाकलां को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर नपती के सम्बंध में पक्षकारान को न्यूनतम 3 दिन पूर्व सूचित कर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावे। यदि वादी के हक/हिस्से की भूमि का प्रतिवादीगण का कोई अनाधिकृत कब्जा पाया जाता है तो उक्त भू भाग से प्रतिवादीगण को बेदखल कर, कब्जा पुनः वादी को सिपुर्द किया जावे।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां
जिला शाहपुरा

यह डिक्री आज दिनांक 14.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां
जिला शाहपुरा